न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान जबर देवी बनाम बनवारीलाल आदि

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955

प्रार्थना पत्र संख्या 64/2021

निर्णय दिनांक 10/02/2025

जबरदेवी पत्नी राजकरण जाति ओसवाल निवासी सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

– प्रार्थीनी–

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र खींवाराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं0 17, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. मांगीलाल पुत्र खींवाराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं0 17, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
3. सम्पतराम पुत्र खींवाराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं0 17, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर जिला चूरू

–अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–

1. श्री शंकरदास स्वामी एडवोकेट वास्ते प्रार्थीनी
2. श्री भागीरथ सिद्ध एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते अप्रार्थी सं. 4

निर्णय

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौरूराम पुत्र जालुराम जाति माली सा0 देह खातेदार के नाम से कृषि भूमि ख0 नं0 379/282/1मी. तादादी 13 बीघा 15 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर की कृषि भूमि थी। जिसमें से बैनामा मालियती 32000/–रूपये दिनांक 07.03.1994 को उपपंजीयक कार्यालय सरदारशहर में जगदीश प्रसाद, दीनदयाल पि0 बृजमोहन जाति ब्राह्मण लाटा सा0देह खातेदार को 4 बीघा कृषि भूमि विक्रय कर दी। जिसका नामान्तरण सं0 422 नामांतरण पंजिका सरदारशहर में दिनांक 05.04.1994 को तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दर्ज तस्दीक किया गया। ख0 नं0 379/282/1 मी. तादादी 4 बीघा रोही मौजा सरदारशहर से नये ख0 नं0 440/438 तादादी 4 बीघा रोही मौजा सरदारशहर कायम हुए। जगदीश प्रसाद, दीनदयाल पि0 बृजमोहन जाति ब्राह्मण लाटा सा0देह ने जबरदेवी पत्नी राजकरण जाति बरड़िया सा0देह खातेदार को विक्रय पत्र मालियती 1,50,000/–रूपये दिनांक 18.06.2004 को पंजीबद्ध उपपंजीयक कार्यालय सरदारशहर के माध्यम से खेत ख0 नं0 440/438 तादादी 4 बीघा रोही मौजा सरदारशहर विक्रय कर दिया। जिसका नामान्तरण सं0 615 नामांतरण पंजिका सरदारशहर में दिनांक 29.06.2004 को तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दर्ज तस्दीक किया गया। उसी समय से प्रार्थीनी ख0नं0 440/438 तादादी 4 बीघा रोही मौजा सरदारशहर पर काबिज काश्तकार खातेदार है। जो चारों ओर से पट्टियों से घेरकर बीकानेर रोड़ पर

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

मुख्य दरवाजा निकालकर गेट लगा रखा है। जिस पर बरड़िया कृषि फॉर्म लिखा हुआ है। वादगत भूमि का आसा–पासा नीचे लिखे अनुसार है :–

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
पुराना ख0नं0 282	बीकानेर–दिल्ली सड़क ख0 नं0 284/2	ख0 नं0 379/282/1मी. से कायम ख0 नं0 441/438	मानजी माली कुए की तरफ जाने वाला आम रास्ता जिस पर सड़क बनी है।

उक्त आसा–पासा की कृषि भूमि ख0नं0 379/282/1मी. से कायम ख0 नं0 440/438 तादादी 4 बीघा रोही मौजा सरदारशहर की प्रार्थीनी राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण की दिनांक 29.06.2004 से काबिज काश्तका खातेदार थी। प्रार्थीनी ने उक्त कृषि भूमि में से उतरी पासे की कृषि भूमि का कार्यालय नगरपालिका सरदारशहर की पत्रावली सं0 17 दिनांक 01.01.2011/10.02.2011 कृषि भूमि रूपान्तरण ख0 नं0 440/438 रोही मौजा सरदारशहर में से उतरी पासे का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का पट्टा सं0 427 मिसल सं0 17 दिनांक 03.01.2011/11.02.2011 राशि 728706/–रूपये अदा कर बनवा लिया। जिसके आसा–पासा व नाप नीचे लिखे अनुसार है :–

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	क्षेत्रफल
भूमि ख0 नं0 282	ख0 नं0 440/438 प्रार्थीनी स्वयं की खातेदारी भूमि	ख0 नं0 441/438	रास्ता आम 30 फुट चौड़ा	
210 फुट	210 फुट	256 फुट	256 फुट	53760 वर्गफुट 5973 वर्गगज

उक्त पट्टा भूमि प्रार्थीनी के नाम बनाया जाकर ख0 नं0 637/440/438 तादादी 2 बीघा गै0मु0 उतरी पासा नगरपालिका सरदारशहर के नामान्तरण सं0 782 दिनांक 03.03.2011 नामान्तरण पंजिका सरदारशहर तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दर्ज तस्दीक किया गया। शेष भूमि ख0 नं0 440/438 का दक्षिणी पासा नया ख0 नं0 638/440/438 तादादी 2 बीघा रोही मौजा सरदारशहर प्रार्थीनी के नाम कब्जा काश्त खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त कृषि भूमि पूर्व के समस्त राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक बीकानेर सड़क के चिपती हुई रही है। जिसकी प्रार्थीनी कब्जा काश्त खातेदारी अधिकारी है। खेत ख0 नं0 284 तादादी 29 बीघा 08 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर धन्ना पुत्र बिड़दा कौम मीणा सा0देह की कृषि भूमि थी। जो अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से थी। जिसके उतरी–उतरी सीमा में बीकानेर–दिल्ली जाने वाली सडक स्वीकृत हुई जिसका इंतकाल सं0 53 दिनांक 17.05.1968 नामान्तरण पंजीका सरदारशहर के द्वारा सड़क निर्माण विभाग सरदारशहर के नाम से दर्ज तस्दीक हुआ। जिसके द्वारा ख0नं0 284 तादादी 29 बीघा 08 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर में से उतरी पासा की 6 बीघा 5 बिश्वा कृषि भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग सरदारशहर के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई। जो राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। जिसके नये ख0 नं0 284/2 तादादी 6 बीघा 5 बिश्वा रोही सरदारशहर दर्ज हुए। अप्रार्थीगण की शेष भूमि ख0 नं0 284/1 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर दर्ज हुई जो राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि सड़क निकलते समय सार्वजनिक

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्माण विभाग सरदारशहर व अप्रार्थीगण के पूर्वज धन्ना वल्द बिड़दा मीणा के नाम से दर्ज हुई। जो एक खसरा नं0 284/2 सार्वजनिक निर्माण विभाग सरदारशहर व दूसरा ख0 नं0 284/1 धन्ना वल्द बिड़दा के नाम से दर्ज हुआ जिसका कुल क्षेत्रफल 29 बीघा 08 बिश्वा दर्ज हुआ। इसी अनुसार सदामत से राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है धन्ना वल्द बिड़दा मीणा के पुराने ख0 नं0 284 रोही मौजा सदारशहर से कोई तीसरा खसरा दर्ज नहीं हुआ।

वर्तमान बन्दोबस्त आने पर राजस्व कर्मचारियों ने सहबन से ख0 नं0 504 क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर (तादादी 4½ बिश्वा) रोही मौजा गलत दर्ज कर दिया गया था जबकि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि बीकानेर–दिल्ली सड़क पुराना ख0 नं0 284/2 तादादी 6 बीघा 05 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर के दक्षिण में स्थित थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के ख0 नं0 284/2 तादादी 06 बीधा 05 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर के दक्षिण में अप्रार्थीगण के पुराने ख0नं0 284/1 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर हमेशा से दर्ज रही है। जिसके सहबन से नया ख0 नं0 504 क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर ख0नं0 506 क्षेत्रफल 5.8000 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 5.8600 हैक्टेयर रोही मौजा सरदारशहर दर्ज कर दिया। जबकि नये ख0 नं0 506 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 5.8600 हैक्टेयर दर्ज करना चाहिए था क्योंकि पुराने राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक सार्वजनिक निर्माण विभाग सरदारशहर के ख0 नं0 284/2 तादादी 6 बीघा 05 बिश्वा के उतर में अप्रार्थीगण की कोई भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रही और ना ही कोई कब्जा अधिकार में रही और ना ही पहले कोई ऐसा ख0 नं0 दर्ज हुआ। क्योंकि शामलाती भूमि का एक खसरा होता है और भू भाग से हटकर अलग भूमि होने पर अलग खसरा होता है। ऐसा राजस्व रिकॉर्ड कभी नहीं रहा मात्र धन्ना वल्द बिड़दा मीणा अप्रार्थीगण के पूर्वजों के ख0 नं0 284/1 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर की एकल खसरा की खातेदारी कृषि भूमि रही। जिसके उतर में सड़क होने के कारण ख0 नं0 284/2 तादादी 06 बीघा 05 बिश्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रही जिसके उतर में प्रार्थीनी की कृषि भूमि ख0 नं0 440/438 तादादी 4 बीघा रोही मौजा सरदारशहर खातेदारी कृषि भूमि रही जिसमें से प्रार्थीनी ने उतरी पासे की भूमि का अपने नाम पट्टा बनाने के कारण दो खसरों में विभाजित हो गया। ख0नं0 637/440/438 पट्टा भूमि ख0 नं0 638/440/438 तादादी 2 बीघा भूमि प्रार्थीनी के नाम से कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि चली आ रही है। प्रार्थीनी की उक्त कृषि भूमि के दक्षिण में चिपते ही बीकानेर–दिल्ली जाने वाली सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि ख0 नं0 282/2 रोही मौजा सरदारशहर है। जिसके अनुसार प्रार्थीनी राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करवाने की अधिकारी है व भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भूलवश सहबन से गलत ख0 नं0 504 कायम कर दिया गया। जिसको शुद्धिकरण किया जाकर अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर खसरा डीलिट किया जावे और पूर्व की भांति सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम इंतकाल दर्ज करते समय जो स्थिति थी उसके अनुसार अंकन किया जावे। ख0 नं0 638/440/438 तादादी 2 बीघा रोही मौजा सरदारशहर प्रार्थीनी की कब्जा काश्त खातेदारी के चिपते ही भूमि सार्वजनिक पथ भवन निर्माण विभाग PWD सड़क ख0 नं0 284/2 तादादी 6 बीघा 05 बिश्वा गै0मु0 सड़क रोही मौजा सरदारशहर राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है इसी अनुसार मौके पर है। सार्वजनिक पथ भवन

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्माण विभाग PWD सड़क ख0 नं0 284/2 तादादी 6 बीघा 05 बिश्वा गै0मु0 सड़क रोही मौजा सरदारशहर के उतर में प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि चिपती हुई है जिस पर पट्टियों से घेरकर दक्षिणी मुखी गेट निकालकर प्रार्थीनी अपनी कृषि भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीनी की खातेदारी कृषि भूमि व सार्वजनिक पथ भवन निर्माण विभाग PWD सड़क के मध्य अन्य किसी की भूमि नहीं रही है और ना ही वर्तमान में किसी का कब्जा अधिकार है। राजस्व कर्मचारियों की भूल सहबन से प्रार्थीनी की खातेदारी कृषि भूमि व सार्वजनिक पथ भवन निर्माण विभाग PWD सड़क के बीच में नया ख0नं0 504 क्षेत्रफल 0.0600 हैक्टेयर कायम कर दिया गया है। जो शुद्धिकरण किया जाकर रिकॉर्ड से हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है व सार्वजनिक पथ भवन निर्माण विभाग PWD सड़क के चिपते ही पुराने खसरा नं0 638/440/438 तादादी 2 बीघा रोही मौजा सरदारशहर का प्रार्थीनी को खातेदार पुराने रिकॉर्ड के अनुसार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थीगण संख्या एवं बाहुबल के अधिक हैं और प्रार्थीनी की हिस्सा भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा करने की एलानियां धमकी देते हैं कि प्रार्थीनी के खेत में कब्जा करेंगे, प्लॉट काटेंगे, सीमाचिन्हों को नष्ट करेंगे पट्टियां व गेट हटायेंगे और काश्त की हुई फसल नष्ट कर देंगे। प्रार्थीनी वृद्ध एवं बीमार महिला है जो अकेली हैं, अप्रार्थीगण प्रार्थीनी को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। सेटलमेंट विभाग की सहबन से रही भूलवश वादीनी के खेत पुराना ख0 नं0 440/438 रोही मौजा सरदारशहर में भूलवश दर्ज अप्रार्थीगण के नाम से नये दर्ज ख0 नं0 504 की आड़ में फायदा उठाना चाहते है और अप्रार्थीगण स्थानीय और राजनैतिक हिसाब से संख्या व बाहुबल में अधिक होने के कारण से प्रार्थीनी के खेत में नाजायज रूप से प्रवेश कर कब्जा करना चाहते हैं ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीनी के खेत चारों ओर सीमाओं व तारपट्टियों से घिरा हुआ है जिसको अप्रार्थीगण नष्ट करना चाहते हैं। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कायम हो गये तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी, भारी असुविधा होगी। प्रार्थीनी वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकारी होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

वकील प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को दौराने विचारण दावा वर्जित किया जावे कि वे प्रार्थीनी की पुराने ख. न. 284/2 तादादी 06 बीघा 05 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर के चिपते ही उतरी पासे में ख0नं0 638/440/438 तादादी 2 बीघा हाल ख0 नं0 596/497 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टेयर रोही मौजा सरदारशहर की भूमि में गलत रूप से अंकित हाल ख0 नं0 504 क्षेत्रफल 0.0600 हैक्टेयर में वर्णित भूमि में प्रवेश नहीं करें, राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें, ख0 नं0 596/497 व ख0 नं0 504 रोही मौजा सरदारशहर के राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे, प्रवेश नहीं करे, प्रार्थीनी को बेदखल नहीं करें, प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करें और कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे, सीमा चिन्हों को नही काटे, पट्टिया व गेट नहीं हटावे, प्लॉट नहीं काटे और अप्रार्थीगण ऐसा कोई कार्य या उपकार्य नहीं करे जिससे प्रार्थीनी के कब्जा, काश्त एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर पड़े।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की ओर से श्री भागीरथ सिद्ध एडवोकेट उपस्थित आये तथा अप्रार्थी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 1 में वर्णित तथ्यों में से दावा पेश करने का तथ्य स्वीकार है शेष तथ्य निराधार बेबुनियाद अंकित किये गये होने से अस्वीकार है। प्रार्थीनी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर दावा पेश करने के कारण उसमें सफलता मिलने की कोई गुंजाईश नहीं है।

प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में प्रार्थीनी द्वारा अपनी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के बारे में वर्णन किया है। जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। इस मद में प्रार्थीनी द्वारा वादगत कृषि भूमि ख0नं0 440/438 तादादी 4 बीघा रोही मौजा सरदारशहर के आसा–पासा लिखे है जो गलत लिखे है। प्रार्थीनी की खातेदारी कृषि भूमि बीकानेर रोड़ के लगती हुई नहीं है। प्रार्थीनी की कृषि भूमि से पहले अप्रार्थीगण की कृषि भूमि आती है। इसी प्रकार प्रार्थीनी ने इस मद में पट्टा सं0 427 मिसल सं0 17 दिनांक 03.01.2011/11.02.2011 के आसा–पासा व नाप लिखा है जो गलत है तथा उक्त कृषि भूमि बीकानेर रोड़ के चिपती हुई स्थित नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 में प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का विवरण गलत अंकित किया है जो अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के पूर्वज धन्ना पुत्र बिड़दा जाति मीणा के नाम से खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 284 तादादी 29 बीघा 8 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर में स्थित थी जिसमें से बीकानेर–दिल्ली जाने वाली सड़क स्वीकृत हुई सड़क में कृषि भूमि 6 बीघा 5 बिश्वा चली गई। जिसके नये ख0नं0 284/2 कायम किये गये जिसके वर्तमान ख0नं0 505 तादादी 1.58 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई तथा अप्रार्थीगण के शेष रही कृषि भूमि के दो ख0नं0 कायम हुए। जिसमें से ख0नं0 284/1 मीन तादादी 23 बीघा जिसके वर्तमान ख0नं0 506 तादादी 5.80 हैक्टेयर कायम हुए तथा ख0नं0 284/1 तादादी 3 बिश्वा जिसके वर्तमान ख0नं0 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर कायम हुए। ख0नं0 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर बीकानेर सड़क के उतरी तरफ तथा ख0नं0 506 तादादी 23 बीघा बीकानेर सड़क के दक्षिणी तरफ तरमीम की गई है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

प्रार्थना पत्र की मद सं0 4 में प्रार्थीनी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के विपरित गलत अंकित किये गये होने से अस्वीकार है। गत ख0नं0 284/2 वर्तमान ख0नं0 505 तादादी 1.58 हैक्टेयर बीकानेर से दिल्ली जाने वाली सड़क के ख0नं0 है तथा ख0नं0 284/1 मिन तादादी 5.80 हैक्टेयर वर्तमान ख0नं0 506 जो बीकानेर–दिल्ली सड़क के दक्षिणी तरफ स्थित है तथा अप्रार्थीगण की शेष रही कृषि भूमि ख0नं0 284/1 वर्तमान ख0नं0 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर बीकानेर से दिल्ली जाने वाली रोड़ के उतरी तरफ स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड, राजस्व नक्शा व मिलान क्षेत्रफल के आधार पर प्रमाणित है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

प्रार्थना पत्र की मद सं0 5 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। प्रार्थीनी की कृषि भूमि ख0नं0 638/440/438 तादादी 2 बीघा बीकानेर – दिल्ली सड़क ख0नं0 284/2 तादादी 6 बीघा 5 बिश्वा के चिपते हुए कभी स्थित नहीं रही है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि गत ख0नं0 284/1 वर्तमान ख0नं0 504 बीकानेर–दिल्ली जाने वाली सड़क के उतरी तरफ स्थित रही है उसी अनुसार वर्तमान बन्दोबस्त विभाग द्वारा नये ख0नं0 504 कायम कर सड़क के उतरी तरफ नक्शा में तरमीम किये गये है। जिसे

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

दुरूस्त करवाने का प्रार्थीनी को कोई हक अधिकार हासिल नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

प्रार्थना पत्र की मद सं0 6 में प्रार्थीनी ने तमाम तथ्य गलत व बनावटी लिखे है जो अस्वीकार है। प्रार्थीनी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई काश्त नहीं करती है। बल्कि अलग–अलग लोगों को प्लॉट काटकर प्रार्थीनी अपनी कृषि भूमि को विक्रय करती आ रही है और अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर को हड़पने की नियत से मनगढन्त व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र दायर किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने विशेष कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर में से 210x80x20 फुट भुमि पर अतिक्रमण कर दीवार का निर्माण करवा लिया। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीनी को बेदखल कर कब्जा अप्रार्थीगण को दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया इसलिए बेदखली से बचने हेतु प्रार्थीनी द्वारा यह दावा एवं प्रार्थना पत्र मनघडन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया होने से काबिले खारिज है। वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को प्रतिशोधात्मक व्यय दिलवाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष वकील सुनी गयी तो प्राथी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थीनी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। जवाब बहस में वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वकील की बहस का खंडन करते हुये व जवाब प्रा. पत्र का समर्थन करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने हेतु दौराने बहस जाहिर किया।

पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो प्रार्थीनी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ख. न. 440/438 तादादी 4 बीघा रोही मौजा सरदारशहर के पास लिखा है जो प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि बीकानेर रोड़ के लगती हुई नहीं है प्रार्थीनी की कृषि भूमि से पहले अप्रार्थीगण की कृषि भूमि आती है, प्रार्थीनी ने पट्टा सं. 427 मिसल सं0 17 दिनांक 03.01.2011/11.02.11 के आस पास नाप लिखा है अन्य कृषि भूमि बीकानेर रोड़ के पास चिपती हुई स्थित नहीं है, अप्रार्थीगण के पूर्वज धन्ना पुत्र बिड़दा के नाम से खातेदारी की कृषि भूमि खस न. 284 तादादी 29 बीघा 8 बिश्वा रोही मौजा सरदारशहर स्थित जिसमें से बीकानेर दिल्ली जाने वाली सड़क स्वीकृत हुयी। उक्त सड़क में 6 बीघा 5 बिश्वा कृषि भूमि चली गयी। जिसके नये ख. न. 284/2 कायम किये गये। जो वर्तमान ख.न. 505 तादादी 1.58 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। अप्रार्थीगण की शेष रही कृषि भूमि के दो ख. न. कायम हुये जिसमें से ख. न. 284/1 मीन तादादी 23 बीघा जिसके वर्तमान ख. न. 506 तादादी 5.80 हैक्टेयर कायम हुये तथा ख. न. 284/1 तादादी 3 बीघा जिसके वर्तमान ख. न. 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर कायम हुये, ख. न. 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर बीकानेर सड़क के उतर की तरफ तथा खसरा नम्बर 506 तादादी 23 बीघा बीकानेर सड़क के दक्षिण तरफ तरमीम की गई है।

गत ख.न. 284/2 वर्तमान ख. न. 505 तादादी 1.58 हैक्टेयर बीकानेर से दिल्ली जाने वाली सड़क के ख. न 284/1 तादादी 5.80 हैक्टेयर वर्तमान ख. न. 506 जो बीकानेर दिल्ली सड़क के

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

दक्षिण तरफ स्थित है तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि 284/1 वर्तमान ख. न. 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर बीकानेर से दिल्ली जाने वाली रोड़ के उतरी तरफ स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड राजस्व नक्शा व मिलान क्षेत्रफल अनुसार है, प्रार्थीनी की कृषि भूमि ख. न. 638/440/438 तादादी 2 बीघा बीकानेर दिल्ली सड़क ख. न. 284/2 तादादी 6 बीघा 5 बिश्वा के चिपते हुये नहीं रही है, अप्रार्थीगण की कृषि भूमि गत ख. न. 284/1 वर्तमान ख. न. 504 बीकानेर दिल्ली जाने वाली सड़क के उतरी तरफ स्थित रही है उसी अनुसार वर्तमान बन्दोबस्त विभाग द्वारा नये ख. न. 504 कायम कर सड़क के उतरी तरफ नक्शे में तरमीम किये गये है, प्रार्थीनी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई काश्त नहीं करती है, अलग–अलग लोगों को प्लॉट काटकर अपनी कृषि भूमि को विक्रय करती आ रही है। केवल मात्र अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ख. न. 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर को हड़पने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया क्योंकि अप्रार्थीगण की भूमि ख. न. 504 तादादी 0.06 हैक्टेयर के भूमि पर प्रार्थीनी द्वारा अतिक्रमण कर लेने पर प्रार्थीनी का कब्जा हटवाने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीनी को बेदखल कर कब्जा अप्रार्थीगण को दिलवाने हेतु पेश करने पर अन्य कार्यवाही को रूकवाने एवं बेदखली से बचने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 212 का पेश किया गया। जिससे प्रार्थीनी न तो प्रथम दृष्टया मामला साबित कर पायी और न ही प्रार्थीनी के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित है, न ही प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र खारिज होने से किसी प्रकार की क्षति होती है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भली प्रकार से साबित होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त एवं अपूरणीय क्षति साबित होने से प्रार्थीनी का प्रा. पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 20.09.2021 का प्रभावहीन(शून्य) हो गया है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 10/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)
सरदारशहर (चूरू)